झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/07–योजना– 45/2025–439(S)   दिनांक – 06/02/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **देवघर जिलान्तर्गत "महुआडाबर से मधुपुर ब्लॉक पथ (कुल लम्बाई –2.550 कि0मी0) का पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू–अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं वृक्षारोपन सहित)" हेतु रू0 13,89,29,000/– (तेरह करोड़ नवासी लाख उनतीस हजार रूपये) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 13,89,29,000/– (तेरह करोड़ नवासी लाख उनतीस हजार रूपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह पथ देवघर जिला का महत्वपूर्ण पथ है। यह पथ रौशन मोड़–मधुपुर (RCD) पथ के कि0मी0 10वें से आरंभ होकर देवघर–मधुपुर (RCD) पथ के 27वें कि0मी0 में मिलता है। यह मधुपुर शहर का एक वैकल्पिक बाईपास पथ है, जिससे मधुपुर शहर में वाहनों का दबाव कम होगा और जाम की समस्या का समाधान हो जायेगा। इस पथ के निर्माण होने से गिरिडीह, रांची, देवघर और सीमावर्ती बिहार इत्यादि के हल्की एवं भारी वाहनों का आवागमन बिना मधुपुर शहर में प्रवेश किये हुए संभव हो पायेगा। वर्तमान में यह पथ सिंगल लेन (कैरिजवे चौड़ाई– 3.50 से 3.75 मी0) है, जो क्षतिग्रस्त है। अतएव जनहित एवं कार्यहित में उक्त पथ के उन्नयन हेतु पुनर्निर्माण कार्य कराया जाएगा।

वर्तमान प्रस्ताव संबंधित प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर महुआडाबर से मधुपुर ब्लॉक पथ (कुल लम्बाई –2.550 कि0मी0) को Intermediate lane (5.50 m) में upgrade करने का है।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष–337–सड़क निर्माण कार्य, उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, देवघर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, देवघर से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025–26	रू0 416.78700 लाख	30%
2026–27	रू0 972.50300 लाख	70%

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

06/02/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

क्र॰ सेल

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना– 45 / 2025– 439(S) दिनांक –06/02/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दुमका / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि संबंधित विभाग / प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं पूर्व के कार्य के Defect Liability Period के समाप्ति के उपरांत ही निविदा की कार्रवाई एवं निर्माण कार्य किया जाय।

5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

06/02/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना– 45 / 2025– 439(S) दिनांक –06/02/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची / उपायुक्त, देवघर / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची / अभियन्ता प्रमुख के सचिव (प्रा0), पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना– 45 / 2025– 439(S) दिनांक –06/02/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/02/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना– 45 / 2025– 439(S) दिनांक – 06/02/2026

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

06/02/2026
सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।